**संख्या- 11/2021/981/22-4-2021-22/99**

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक- 01 जनवरी, 2021

विषय- कारागार मुख्यालय के निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन हेतु नये वाहनों के क्रय की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-28477/नजारत-4/80-वा0क्र0/2020, दिनांक 13.11.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया कारागार मुख्यालय की निष्प्रयोज्य/निस्तारित 03 नग एम्बेस्डर कार के स्थान पर मेसर्स मारूति सुजुकी इण्डिया लि0 की 02 नग अर्टिगा एलएक्सआई एसएचवीएस-बीएस-VI एवं मेसर्स महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि0 की 01 नग बोलेरो बी VI बीएस-VI तथा 01 नग निष्प्रयोज्य/निस्तारित मारूति ओमनी के स्थान पर मेसर्स मारूति सुजुकी इण्डिया लि0 01 नग इको 5 एसटीआर एसी-बीएस-VI क्रय किये जाने हेतु कुल रू0 24,79,895/- (रूपया चौबीस लाख उन्नियासी हजार आठ सौ पन्चान्नवे मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित विवरण/शर्तों के अधीन प्रदान करती हैं :-

| क्र0 | वाहन का नाम | प्रति वाहन मूल्य | वाहन की संख्या | स्वीकृत धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | मेसर्स मारूति सुजुकी इण्डिया लि0 की 02 नग अर्टिगा एलएक्सआई एसएचवीएस-बीएस-VI | रू0 6,76,629/- | 02 नग | रू0 13,53,258/- |
| 2 | मेसर्स महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि0 की 01 नग बोलेरो बी VI बीएस-VI | रू0 7,48,707/- | 01 नग | रू0 7,48,707/- |
| 3 | मेसर्स मारूति सुजुकी इण्डिया लि0 01 नग इको 5 एसटीआर एसी-बीएस-VI | रू0 3,77,930/- | 01 नग | रू0 3,77,930/- |
| | | **योग-** | **04 नग** | **रू0 24,79,895/-** |

(1) उक्त वाहनों का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं/सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 23.08.2017 के अनुसार गवर्नमेन्ट ई-मार्केटप्लेस (जेम पोर्टल) के माध्यम से किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जायेगा।

(3) वाहनों के क्रय के पश्चात यदि कोई धनराशि बचती है, तो वह राजकोष में जमा कर दी जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक-31-03-2021 तक कर लिया जायेगा।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 800-अन्य व्यय, 25 कारागार- मुख्य 14-मोटर गाडियों का क्रय" मद में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-12/241/दस/2021, दिनांक-25 जनवरी, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-11/2021/981(1)/22-4-2021-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in